

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/वैशाली/जमुई/समस्तीपुर/पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)
भोजपुर (आरा)/ सारण (छपरा)।

पटना, दिनांक:-

18.9.18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या- 26-
उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3373 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1.	बेगूसराय	02	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200000/- (दो लाख)	श्रम अधीक्षक, बेगूसरायका पत्रांक-676 दिनांक-01.08.18 एवं 688 दिनांक-14.08.18 के आलोक में (1) स्व. रूपेश सिंह, आश्रित कुन्दन देवी (पत्नी) ग्रा.-नयानगर दुलारपुर, तेघड़ा, बेगूसराय (2) स्व. मो. रकीम, पिता मो. कैयूम आश्रित रौशन बंगम(पत्नी) ग्रा.+पो.-डुमरी, थाना-मुफसिल, जिला-बेगूसरायके भुगतान हेतु।
2	वैशाली	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, वैशाली का पत्रांक-846 एवं 838 दोनों दिनांक-03.08.18 के आलोक में (1) स्व. दिल मोहम्मद, पिता फजल करीम, आश्रित मु. शमसा खातुन (पत्नी), ग्राम-शेरपुर प्यारे पो.-फुलाढ़, थाना+प्रखंड-महुआ, जिला-वैशाली (2) स्व. जन्मेजय ठाकुर, पिता सचिन्द्र ठाकुर, आश्रित मु. सीता देवी (पत्नी), ग्राम+पो.-मोहनपुर, थाना+प्रखंड-राघोपुर, जिला-वैशाली के भुगतान हेतु।
3	जमुई	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक-470 दिनांक-23.08.18 के आलोक में स्व. मितन साव, आश्रित रनिया देवी (पत्नी)ग्रा.-कोड़वाडीह, पो.+प्रखंड+थाना-झाझा, जिला-जमुई के भुगतान हेतु।
4	समस्तीपुर	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का ज्ञापांक-606 दि.-23.08.18 के आलोक में स्व. राम नाथ साह, पिता-स्व. राम स्वरूप साह, आश्रित सुमित्रा देवी (पत्नी) ग्रा.-चिन्तामनपुर भटगॉवा, पो.+थाना+प्रखंड-सरायरंजन, जिला समस्तीपुर के भुगतान हेतु।
5	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-821 एवं 822 दोनों दिनांक-29.08.18 के आलोक में (1) स्व0 भिखारी प्रसाद पाल, आश्रित रामावती देवी (माता) ग्रा0-मुर्तियां, पो0+थाना-आदापुर, जिला-पूर्वी चम्पारण (2) स्व0 संजय कुमार कुशवाहा, आश्रित प्रमीला देवी (पत्नी) ग्रा0-हसनपुर, पो0-परसौनी किशुन, थाना-पिपरा, प्रखंड-चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण के भुगतान हेतु।

6	भोजपुर (आरा)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक-764, दिनांक-04.09.18 के आलोक में स्व0 गणेश तिवारी, पिता-स्व0 रविनन्दन तिवारी, आश्रित सरोज देवी (पत्नी), ग्रा0-चनउर, पो0-चारघाट, थाना-बिहियाँ, प्रखंड-शाहपुर, जिला-भोजपुर (आरा)के भुगतान हेतु
7	सारण (छपरा)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक-1047, दिनांक-01.09.18 के आलोक में स्व0 हरिवंश राय, आश्रित रेशम कुवंर (पत्नी), ग्रा0-जमीरा, पो0-पोड़ी, थाना-दरियापुर, जिला-सारण के भुगतान हेतु।
	कुल	10		1000000/-	

कुल आवंटित राशि ₹ 10,00,000/- (दस लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत नियमानुसार जाँच पड़ताल कर उ-हीं मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि. दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।

विश्वासभाजन,
18/09/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 89 पटना, दिनांक 18.9.18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/09/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/18 श्र0सं0- 89 पटना, दिनांक- 18.9.18
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.स.प्रे.सं.-338(श्रम पक्ष) दिनांक-4.9.18 तथा 347 एवं 351 (श्रम पक्ष)दोनों दिनांक-07.09.18 तथा 361(श्रम पक्ष) दिनांक-14.09.18 के आलोक में/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा-6, बजट शाखा (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) द्वारा किया जायेगा।

18/09/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड पोस्ट